न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 116/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1बिजेन्द्र बोथरा पुत्र स्व. रतनलाल 2धीरेन्द्र बोथरा पुत्र स्व. मदनलाल 3अतुल बोथरा पुत्र स्व. भरत बोथरा सभी जातियान बोथरा ओसवाल निवासीगण गोगेलाव तहसील व जिला नागौर हाल निवासी चेन्नई 32 बेसिन वाटर वर्क्स, स्ट्रीट, साहूकार पेठ चेन्नई		1 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मदनलाल 2 संतोष पुत्र स्व. श्रीपालचंद 3 श्रेणीक पुत्र स्व. श्रीपालचंद 4 शशि पुत्री स्व. श्रीपालचंद 5 सपना पुत्री स्व. श्रीपालचंद 6 शालू पुत्री स्व. श्रीपालचंद जातियान बोथरा ओसवाल निवासीगण गोगेलाव तहसील व जिला नागौर हाल निवासी चेन्नई 7 ग्राम पंचायत गोगेलाव जरिये सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत गोगेलाव पंचायत समिति, नागौर तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 कान्ता बोथरा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

2 श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 09.02.2026

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा मिसल संख्या 88/17–18 द्वारा पटटा सं. 91 दिनांक 05.12.2017 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.09.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 14.10.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 7 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैरहाजिर रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल संख्या 88/2017–18 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 91 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 05.03.2018 की फोटोप्रति, आपसी बंटवारे की लिखापढी की फोटोप्रति, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के चेन्नई संस्करण की दिनांक 19.06.2024 की फोटोप्रति, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के नागौर संस्करण की दिनांक 12.12.2024 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोगलाव का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– अप्रार्थीगण ने आपसी मिलावट व अपराधिक षडयंत्र के तहत विवादित सदोष तैयार किया गया कथित पटटा स्पष्ट रूप से फर्जी, नुमाईशी, अवैध व शून्य प्रभावी शुरू से हुआ, रहा व है जिसे निगरानी के जरिये निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है क्योंकि विवादित सम्पति अपीलांटस की पुश्तैनी अविभाजित सम्पति रही है जिसका पक्षकारान के मध्य आज तक किसी सक्षम न्यायालय से कोई बंटवाडा आदि नही हुआ है सभी का संयुक्त कब्जा व संयुक्त स्वामित्व बिन्दु उतराधिकार अधिनियम व अन्य विधिक प्रावधानो अनुसार हुआ, रहा व है तथा कुटुम्ब के किसी सदस्य विशेष अकेलो को संपूर्ण सम्पति का पटटा बनवाने का अधिकार किसी भी प्रावधान के तहत न तो था न है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(2)– अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 पिता स्व. श्रीपालचंद ने आपस मे षडयंत्र करके व ग्राम पंचायत गोगेलाव को अपने अपराधिक षडयंत्र मे शामिल करते हुए व अनुचित दबाव, प्रभाव मिलीभगती करते हुए प्रार्थीगण सहित भैरूदानजी के दीगर वारिसान को सदोष हानि पहॅचाने व अपने आप को सदोष लाभ पहुॅचाने के बेईमानीपूर्वक आशय से मिथ्या घोषणा के दस्तावेज तैयार कर छल कपट व धोखाधडी करते हुए तथाकथित पुश्तेनी अविभाजित सम्पति का पटटा तैयार किया गया है क्योकि कथित सम्पति पर भैरूदानजी के वारिसान प्रार्थीगण सहित दीगर सदस्यो का शुरू से लेकर आज दिन तक बहेसियत सहस्वामित्व संयुक्त कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है, उक्त सम्पति प्रार्थीगण की पुश्तेनी सम्पति रही है। यहॉ यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायत मे कथित पटटा हेतु जो कार्यवाही की गयी उनमे भी उक्त सम्पति को पुश्तेनी होना बताया है इस प्रकार सम्पति पुश्तेनी होना स्वीकार सुदा तथ्य है तथा अभी तक पक्षकारो के मध्य विधिवत विभाजन नही होने से सभी का विधिक हक हिस्सा है ऐसी स्थिति मे उक्त कथित पटटा अकेले अप्रार्थीगण को बनाने का कोई कानूनी अधिकार नही है ऐसे अवैध पटटे को संयुक्त सम्पति के सहस्वामियो मे से कोई भी चुनौती देकर निरस्त करवाने का विधिक अधिकार रखता है इस कारण प्रार्थीगण यह निगरानी अपने विधिक अधिकारो के तहत पेश कर रहे है। चूंकि निगरानी केवल अप्रार्थीगण के नाम से जारी कथित फर्जी पटटे को निरस्त करवाने के लिये है इसलिये कथित पटटे मे दर्ज पटटाधारी व मृत पटटाधारी के वारिसान ही आवश्यक पक्षकार है सम्पति के दीगर सहस्वामित्यो के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही होने से उनको पक्षकार बनाये जाने की कतई आवश्यकता नही है इन परिस्थितियो मे निगरानी हाजा स्वीकार की जाकर कथित पटटा जैर निगरानी विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी सं. 1 व स्व. श्रीपालचंद अन्यंत ही चतुर व चालाक व्यक्ति होने से उन्होने ग्राम पंचायत गोगेलाव के सरपंच व अपने अन्य सहयोगियो से मिलावट व अपराधिक षडयंत्र कर उक्त पुश्तेनी अविभाजि सम्पति का कथित सरासर फर्जी पटटा बाले बाले तैयार किया है। यहॉ यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि प्रार्थीगण को यह भी जानकारी हुई है कि कथित सम्पति के पटटा बनाने से पूर्व व उसके पश्चात दीगर सहस्वामी कमलचंद बोथरा पुत्र रतनलाल जी ने भी ग्राम पंचायत, जिला कलक्टर सहित मुख्यमंत्री राज़ सरकार को आपति आवेदन पेश किये गये तथा ग्राम पंचायत को भी लिखित मे शिकायत पेश की कि उक्त सम्पति अविभाजित है बिना सभी की सहमति के पटटे नही बनावे तथा उक्त सम्पति के संबंध मे बाले बाले कोई पटटा बनाने हेतु आवेदन पेश करे तो पटटा बनाने से पूर्व हम दीगर पक्षकारो व सहस्वामियो को सुना जावे, उक्त पत्र ग्राम पंचायत गोगेलाव को प्राप्त होने की पावती भी मिल गयी तथा ग्राम पंचायत गोगेलाव की जानकारी मे यह तथ्य आ गया कि उक्त सम्पति अप्रार्थी महेन्द्रकुमार व स्व. श्रीपालचंद अकेलो की कब्जासुद स्वामित्व की नही है। इसके बावजूद खुले आम कानूनी प्रावधानो का उल्लघंन करते हुए व दीगर सहस्वामियो कब्जाधारियो के हितो की अनदेखी करते हुए गैर कानूनी रूप से कथित पटटा जारी किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

2(4)– यहॉ यह तथ्य भी दर्ज करना महत्वपूर्ण होगा कि अपीलांट ने हाल ही मे सभी दस्तावेजो की जानकारी की व कुटुम्ब के सहस्वामियो के पास इस पुश्तेनी अविभाजित सम्पति बाबत उपलब्ध दस्तावेजात को प्राप्त करने व छानबीन करने पर यह भी पता चला कि दिनांक 28.02.18 को ग्राम पंचायत गोगेलाव को कमलचंद बोथरा पुत्र रतनलाल ने पत्र लिख कर निवेदन किया था कि कथित पटटो को रदद किया जावे उस पर संज्ञान लेते हुए और गलती को स्वीकार करते हुए दिनांक 05.03.18 की ग्राम पंचायत की नियमित बैठक मे ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने प्रस्ताव सं. 3 रखा कि मिसल नं. 5/16–17 एवं 88/17–18 पर फैसला व जारी पटटे गलत तथ्यो और मौका कमेटी की मिथ्या रिपोर्ट पर बने है इन्हे निरस्त किया जावे, जिसकी एक सत्यापित प्रति कमलचंद बोथरा पुत्र रतनलाल पौत्र भैरूदान बोथरा को भी दी गयी तथा सभी कोरम मे उपस्थित पदाधिकारियो के हस्ताक्षर के साथ उक्त प्रस्ताव बैठक रजिस्टर मे दर्ज किया गया। इस प्रकार स्वयं ग्राम पंचायत ने कथित पटटा को अवैध व गैर कानूनी मान लिया है तथा निरस्त किये जाने का ग्राम सेवक / पदेन सचिव का प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत मे लिया गया है इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने आज तक कथित पटटा को निरस्त नही किया है तथा उसकी आड मे अप्रार्थीगण मौके की स्थिति मे

अपर कलक्टर, नागौर

परिवर्तन करने व सम्पति को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण आदि करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण को उक्त पटटा करवाने हेतु यह निगरानी पेश करनी आवश्यक हुई है तथा उपरोक्त हालात मे उक्त पटटा निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नही है ग्राम पंचायत भी अपने उक्त पटटा निरस्त करने के प्रस्ताव से पाबंद है। कथित फर्जी पटटो लेकर हुई तमाम पत्र व्यवहार की कार्यवाही, समय समय पर हुई शिकायत, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद, ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये पटटा निरस्त का प्रस्ताव दिनांक 5.3.18 पक्षकारान के पूर्वजो द्वारा लिखे गये पुराने पत्रो, कमलचंद द्वारा स्टांप पर तैयार की गयी स्व. भैरूदानजी की वंशावली, ग्राम पंचायत को भेजी गयी उजरदारी, पूर्वज दादा भैरूदानजी व उनके भाईयो व पुत्रो का आपसी अधिकार पत्र, मुंडिया लिपि मे रतनलाल की लिखावट मे मय हिन्दी अनुवाद सहित जो लिखावटी आज से करीब 85 वर्ष पुरानी है।

2(5)– यहॉ यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि तथाकथित पटटो के लिये जो आवेदन पेश हुआ है उसमे आवेदनकर्ता श्रीपालचंद व महेन्द्रकुमार है जबकि हस्ताक्षर केवल श्रीपालचंद बोथरा के ही है तथा वह भी किसी दलाल व्यक्ति द्वारा किये हुए प्रतीत होते है जो संभवतया फर्जी पटटा बनाने के षडयंत्र मे भूमाफिया दलाल लोग षडयंत्र मे शामिल होने की संभावना को स्पष्ट प्रकट करता है। जहां तक पटटा की विधिक प्रक्रिया का प्रश्न है पटटा के संबंध मे आम सूचना प्रकाशन करवाये जाने का कायदा व नियम है पत्रावली मे ऐसी आम सूचना प्रकाशन संबंधी आदेशित लाईनो मे कांटछांट है इन सभी परिस्थितियो से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत का एक मात्र उददेश्य गलत तौर पर पटटे जारी करना था जिससे ऐसे फर्जी, अवैध, बिना अधिकार के व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये व पुश्तेनी सम्पति पर काबिज सहस्वामियो व विधिक उतराधिकारियो की जांच किये बिना केवल दो सदस्यो के नाम पटटा जारी किये जाने से ऐसा पटटा शुरू से ही अवैध रहा है व इससे न तो प्रार्थीगण व दीगर सहस्वामियो के विधिक अधिकार समाप्त हो सकते है न ही अप्रार्थीगण को कोई विशेष विधिक अधिकार प्राप्त होते है लेकिन चूंकि आज दिन पटटे बने हुए अप्रार्थीगण के पास है जिनका अब वे दुरूपयोग कर उतरोतर सम्पति हस्तान्तरण करने पर आमादा है ऐसी स्थिति मे सक्षम न्यायालय से पटटा निरस्त करवाया जाना आवश्यक होने से इस हेतु यह निगरानी पेश है। अप्रार्थीगण को यह भी जानकारी हो गयी है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक / पदेन सचिव ने भी पटटा गलत जारी होना मानकर प्रस्ताव ग्राम पंचायत मे लिया हुआ है फिर भी भूमाफियो व दलालो के बहकावे मे आकर सम्पति को उतरोतर और मिथ्या घोषणा करके खुर्द बुर्द हस्तान्तरण करने की फिराक मे है जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो पर खतरे के काले बादल मण्डराने लग गये है ऐसी स्थिति मे निगरानी के क्षेत्राधिकार के जरिये उक्त पटटे की पत्रावली तलब कर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 5.3.18, उतरात निगरानी व संलग्न दस्तावेजात की जांच कर पटटा निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

2(6)– इस प्रकार विवादित सम्पति स्व. भैरूदान के वारिसान की पुश्तेनी संयुक्त कब्जासुद, सहस्वामित्व की सपंदा रही है अप्रार्थी सं. 1 व स्व. श्रीपालचंद अकेलो को इस तरह से पटटे बनवाने का कोई अधिकार नही है छल कपट व धोखाधाडी से की गयी अपराधिक कार्यवाही है जिनके संबंध मे अलग से पुलिस विभाग मे तमाम षडयंत्रकारियो के विरूद्व फौजदारी कार्यवाही संस्थित की जायेगी।

3–अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पटटा जारी किया था। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत गोगेलाव का मिसल संख्या 88/17–18 द्वारा पटटा सं. 91 दिनांक 05.12.2017, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत गोगेलाव द्वारा प्रस्तुत रिकोर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.03.2018 को प्रस्ताव संख्या 03 लिया जाकर अंकन किया कि पट्टा मिसल नम्बर 88/17–18 व 05/2016–17 दोनों पट्टा फाइल श्रीपालचंद बोथरा पुत्र भैरूदान बोथरा एवं महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल बोथरा के नाम से जारी किए गए है, जो मौका कमेटी द्वारा गलत निरीक्षण व पूर्वजों की अविभाजित सम्पति के गलत तथ्यों के आधार पर जारी किए गए है, जो निरस्त किए जावे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिकोर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह माना जा सके कि उक्त पट्टा सुद जायगा अप्रार्थी संख्या 01 महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल व श्रीपालचंद बोथरा पुत्र भेरूदान की स्वअर्जित हो, या पुस्तैनी हो या पट्टा धारियों के अकेले के बंट, कब्जा, स्वामित्व या उपभोग की हो। उक्त सभी तथ्यों का अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत गोगेलाव ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की पालना किये बिना जारी किया गया है। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.03.2018 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो? ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में इस पत्रावली में पेश नहीं किया। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत गोगेलाव, पंचायत समिति, नागौर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पंचायत द्वारा मिसल संख्या 88/2017–18 द्वारा जारी पटटा सं 91 के संबंध मे उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/11–

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर